# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**अपील संख्याः–153/18 ((RCMS No.2018/00169) 18 आयुध अधिनियम 1959 )**

पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र प्रमोद कुमार जाति स्वर्णकार निवासी कस्वा कुम्हेर पुलिस थाना कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये कलक्टर, भरतपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 12.07.2018

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

**नि र्ण य दिनांकः 26.12.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 04.05.18 को 0.32 बोर रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंस नं0 15/2018 जारी किया गया था। अनुज्ञापत्र तथ्यों की तात्विक पालना के बिना जारी किये जाने से उक्त अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 15/2018 दिनांक 04.05.18 को जारी करने से पूर्व सभी आवश्यक कार्यवाही व विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही सम्पूर्ण शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था और अनुज्ञा पत्र जारी करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये समय के अन्दर अपीलान्ट पिस्टल खरीद कर ले आया और जब अनुज्ञापत्र पर पिस्टल के नम्बर अंकित करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय ने अनुज्ञा पत्र पर पिस्टल के नम्बर अंकित नही किये और अपीलान्ट का अनुज्ञ पत्र बिना किसी कारण के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त कर दिया जबकि न्यायालय को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 17 (ग) आयुध अधिनियम के आधार पर अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है जबकि अनुज्ञापत्र प्राधिकारी ने ऐसा कोई कारण अपीलाधीन आदेश में नही लिखा है कि अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये किसी तात्विक जानकारी को दबाया है या अपीलान्ट ने गलत जानकारी दी है। उनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश में भी क0 सं0 संख्या एक, दो, तीन, चार व पांच की पूर्ती करने के बाद ही शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया था तथा नवीन आयुध नियम 2016 के स्तम्भ 15 नियम 11 (4) (ड) के तहत नियम 10 के उपनियम 4 में निर्दिष्ट आयुध के सुरक्षित उपयोग व भण्डारण के लिये प्रारूप घ–2 में बचनपत्र संलग्न किया गया है तथा नियम 11(4) (6) के तहत प्रारूप घ–3 में चिकित्सीय प्रमाण पत्र पेश किया गया है एवं नियम 27 के अनुशरण में अनुज्ञप्ति फीस जमा करायी गयी है तथा नियम 12(3) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट नियम 14(1) के अनुसार प्रारूप घ–4 में जिला मजिस्ट्रेट के नाम रिपोर्ट भेजी गयी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारण के अपीलान्ट को बिना सुने अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र रेस्टोर किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट द्वारा आर्म्स एक्ट के नवीन आर्म्स रूल्स 2016 में स्तम्भ 15 के सामने अपीलान्ट को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख नही किया है। अपीलान्ट ने अनुज्ञापत्र की आवश्यकता के कारण का उल्लेख नही किया है न ही सुरक्षित उपयोग एवं मण्डारण का प्रारूप घ–2 संलग्न किया है। नियम 2016 के नियम 12(3) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट नियम 14(1) के अनुसार प्रारूप घ–4 में रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के नाम प्राप्त होनी चाहिये थी, जो नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने नियमों के अनुसार आवेदन नहीं किया है और न ही नियमों की पालना में दस्तावेज ही प्रस्तुत किये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित प्राफार्मा में आवेदन किया है। जिस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ने जिला पुलिस अधीक्षक व सीआईडी व अन्य से रिपोर्ट ली है। रिपोर्ट में अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की सिफारिश की है। अपीलान्ट द्वारा निर्धारित फीस भी जमा की है जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर से प्रतिवेदन परिशिष्ट (ब) से चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दिनांक 03.03.2013 का पेश किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार ही अनुज्ञापत्र जारी किया है जिसके आधार पर अपीलान्ट ने शस्त्र क्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में जो आक्षेप लगाये हैं वह ऐसे आक्षेप हैं जिन्हें अपीलान्ट को तलब कर पूरा कराया जा सकता था। उक्त आक्षेप ऐसे नही हैं जिनसे नियमों की अवहेलना हो रही हो। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने

ही अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किये ही अनुज्ञापत्र निरस्त किया है, जो विधि सम्मत् नही है। अधीनस्थ न्यायालय को या तो अनुज्ञापत्र जारी ही नही करना चाहिये था और यदि जारी कर दिया है और बाद में कुछ कमियां सामने आयी हैं तो उन्हें पूर्ती कराने के लिये आवेदक को तलब कर, आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर पूर्ती कराई जा सकती थी। अपीलान्ट को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश में अंकित कमियों की पूर्ती अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व ही करा लेनी चाहिये थी। अनुज्ञा पत्र जारी होने आवेदक द्वारा पिस्टल क्रय करने के बाद त्रृटियां दर्शा कर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र सं0 15/2018 जारी किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। जबकि अपीलान्ट को दो अनुज्ञापत्र जारी किया जाना बता कर दो अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने के आदेश पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली का अवलोकन ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलान्ट के पक्ष में जो लाइसेंस जारी ही नही हुआ है, उसे निरस्त करने का आदेश देना उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.07.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट से आक्षेपों की पूर्ती कराकर नियमानुसार उक्त अनुज्ञापत्र सं0 15/2018 डीएमबीपीआर को जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official